संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387

क.प्राविवि / गै.बैं.वि.कं. / वि.कं. / 1(11) / सं.वि.स. / 2015 / 2510 भोपाल, दिनांक ~~18~~–08–2015 19

<u>तत्काल / महत्वपूर्ण</u>

प्रति,

1. **कलेक्टर**, (समस्त), मध्य प्रदेश
2. **पुलिस उप माहानिरीक्षक**, भोपाल / इन्दौर
3. **पुलिस अधीक्षक** (समस्त), मध्य प्रदेश

विषयः– सेबी द्वारा प्रतिषिद्ध करने के उपरान्त भी कतिपय स्थापनाओं द्वारा पोन्जी स्कीम संचालित करते हुए धनराशि एकत्रित करने बाबत् ।

संदर्भः– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का अ0शा0 पत्र क. 2 / 10 / 2015–पीएम दिनांक 05–08–15 ।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें । भारत सरकार ने अवगत कराया है कि पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित 13 स्थापनाओं द्वारा पोन्जी स्कीम संचालित करते हुए धनराशि एकत्रित की जा रही है। साथ ही यह भी लेख किया है कि कतिपय स्थापनाओं को सेबी द्वारा प्रतिषिद्ध किया जा चुका है फिर भी उनके द्वारा धनराशि एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। अतः, सूची में उल्लेखित स्थापनाओं के विरूद्ध तत्काल आई0 पी0 सी0 तथा मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के तहत् कार्यवाही की जाये।

इस विषय पर अवगत कराया जाता है कि मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 में निहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा जिला कलेकटर को अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। अतः, भारत सरकार के पत्र के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित स्थापनाओं द्वारा आपके जिले में अनाधिकृत रूप से जनता से निक्षेप स्वीकार की जा रही है तो इन स्थापनाओं के विरूद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों तथा आई0पी0सी0 के तहत् तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

(अमित राठौर)
आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क.प्राविवि / गै.बैं.वि.कं. / वि.कं. / 1(11) / सं.वि.स. / 2015 / 2511 भोपाल, दिनांक ~~18~~–08–2015 19

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. श्री मनोज जोशी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लाक, नईदिल्ली की ओर अ0शा0 पत्र क. 2 / 10 / 2015–पीएम दिनांक 05–08–2015 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

5. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0आई0डी0, मध्य प्रदेश, भोपाल।
8. संभागायुक्त (समस्त), मध्य प्रदेश।
9. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।

आयुक्त
संस्थागत वित्त

D.O.5/6/2015-PM

MANOJ JOSHI, IAS
Joint Secretary

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

सत्यमेव जयते

Dated 5th August, 2015

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/GEN/5618/2015
दिनांक 13-8-15

Dear Sir

I would like to bring to your kind attention to the enclosed list of entities that are running ponzi schemes in various part of the country, as highlighted by Hon'ble MP Dr. Kirit Somaiya. It has been observed that even after being prohibited by Securities and Exchange Board of India (SEBI), certain entities continue to mobilize deposits from public by creating new entities such as co-operative societies or a new legal entity.

2. In such cases, under section 4 (ii) of the Madhya Pradesh Niveshakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam, 2000, the State Government authorities are fully competent to act against any such financial establishment even during the process of collection, without waiting for default to happen.

3. I request to you to ensure immediate necessary action under IPC and the Madhya Pradesh Niveshakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam, 2000 in all such cases.

Yours sincerely

Manoj Joshi

(Manoj Joshi)

Shri Anthony J.C. De Sa
Chief Secretary of Madhya Pradesh,
Vallabh Bhavan, Bhopal - 462003,
Madhya Pradesh,
Tele : +91 755 2441848,
Fax: 917552441521.

11 AUG 2015
ACS, Finance
ACS Home

ACS Finance 2435
दि. 14/8/15

Pl issue instructions to Collectors SP

जा.क्र. 455/सचिव/वित्त/2015
दिनांक 18-8-15

JD(S)

ASO(C)

NAME OF 13 MAJOR PONZY COMPANIES

Sl. No.	Name of the company with CIN(Corporate Identification Number) & Date
1.	Madhya Pradesh Lok, Vikas Finance Ltd. U45991CT1996PLC10401 Dated 19.01.1996
2.	Samrudha Jeevan Foods India Ltd. U15204PN2002PLC016950 Dated 29.04.2002
3.	Saksham Dairy IndiaLtd. U15203DL2000PLC108977 Dated 21.12.2000
4.	Royal Sun Marketing and Insurance Services, Gwalior Royal Sun Marketing Services Private Ltd., Gwalior MP,U52590MP2008PTC021178 Dated 22.09.2008
5.	Sky Lark Land Developers and Infrastructure India Ltd. U70100MP2010PLC023689 Dated 02.06.2010
6.	K.M.J. Land Developers India Ltd., U7010MP2008PLC020823 Dated 26.06.2008
7.	KBCL Pvt. Ltd. U01407UP 2002 PLC026529 Dated 18.03.2002
8.	G. N. Land Developers G N Diary Ltd. U45300DL2008PCL181132 Dated 21.07.2008
9.	Kim Future Vision, (Kim Infrastructure and Developers Ltd. U45201DL2005PLC140693 Dated 14.09.2010
10.	PACL India Ltd. U70101RJ1996PLC011577 Dated 13.02.199
11.	RBN Real Estate and Allied India Ltd. Latipur Colony,Gwalior U70102MP2009PLC021573 dtd. 30/01/2009
12.	Sai Prasad Foods India Ltd. U51909PN2001PLC0166447 Dated 18.09.2001 Sai Prasad Properties India Ltd.
13.	GCA Marketing Ltd. U52599MP2010PTC024689 Dated 08.11.2010